

समक्ष, सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा, जिला-रीवा



योगेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री रामविश्वास सिंह, निवासी-शेरगंज, तहसील-  
रघुराजनगर वृत्त रैगांव, जिला-सतना म0प्र0-----निगराकार

**बनाम**

- 1:- नन्दू यादव (नन्दकिशोर यादव), प्रेमलाल यादव साकिन-धवारी मलाहन  
टोला, सतना, तहसील-रघुराजनगर, जिला-सतना म0प0
- 2:- शासन म0प्र0-----गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान  
तहसीलदार वृत्त रैगांव, जिला-सतना के  
आदेश दिनांक 13.02.2012 व सिलसिले  
रा0प्र0क्र0-43ए.12/11-12

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0  
स0 1959

मान्यवर,

**प्रार्थी निगराकार की प्रार्थना निम्नलिखित है :-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक नन्द  
किशोर यादव द्वारा मौजा शेरगंज की आराजी नं0-277/2/क  
/2/1/क/1 रकवा 2.026हेक्टेयर के सीमांकन बावत् आवेदन संहिता  
की धारा 129 के तहत पेश किया।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर रा0नि0 को आदेश जारी किया  
गया, रा0नि0 से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त।

योगेन्द्र प्रताप सिंह/निगराकार द्वारा आपत्ति पेश की गई,  
आपत्तिकर्ता की आपत्ति मुख्य रूप से यह है कि उसकी आराजी से  
आवेदक की आराजी लगी नहीं है, बल्कि लमतारा बांध से लगी हुई है।

R-935-I/12


दि. 28-3-12 को  
श्री. प्रमोद कुमार सिंह  
28/3/12

अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार  
सिंह द्वारा प्रस्तुत 9/03/2012  
रीवा दि. 3/12/9.03.2012

5-4-12

प्रमोद कुमार सिंह  
एडवोकेट

✓

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं जजों/तबकों आदि के हस्ताक्षर
<p>20-7-17.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- प्रकाश प्रस्तुत।</li> <li>2- आवेदक तथा अभिभाषक की प्रचारकरणी गयी किन्तु सचता उपरांत उपाखित नहीं है।</li> <li>3- अनवेदक क्रम-1 की ओर लेनी जी. एस. ओ. फा. एड. उप।</li> <li>4- अनवेदक क्रम-2 शासन (म. प्र.) की ओर लेनी उपाखित नहीं है।</li> <li>5- शीर्ष आवेदक तथा अभिभाषक सचता उपरांत उपाखित नहीं है। भला साहित्यिक चारा 35(2) के तहत प्रकाश अदम पेशी में स्वाजित किया जाता है।</li> <li>6- आदेश की प्रति के साथ अर्थात् न्याया. का रिफाई वापस है। तदनुसार प्रकाश वेज ले लमात स्केट्स <del>के</del> से।</li> </ol>	<p style="text-align: right;">               सदस्य.         </p>

✓